कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 09.04.2026

थाना खखरेरू पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार"

जनपद में शान्ति और कानून का राज कायम रखने के क्रम में थाना खखरेरू पुलिस टीम द्वारा गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त स्कूल बस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 08.04.2026 को समय करीब 07:30 बजे सुबह चकिया - बैरी थाना खखरेरू के बीच गुरु हेल्थ पॉली क्लीनिक के सामने स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल बस संख्या-UP71AT2365 का चालक द्वारा तेजी से चलाकर सामने से साइकिल से आ रहे स्कूली बच्चे आयुष कुमार पुत्र शंकर लाल उम्र करीब 13 वर्ष नि० बैरी थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर व राइडर मोटरसाइकिल संख्या UP71BL8589 के चालक शालू पुत्र विजय यादव उम्र करीब 21 वर्ष नि० बरयेपुर थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर को जोरदार टक्कर मार दिया जिससे आयुष कुमार उपरोक्त की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा शालू उपरोक्त गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण इलाज हेतु सीएचसी खखरेरू भेजा गया था जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा घायल को मंझनपुर जनपद कौशाम्बी रेफर कर दिया गया है, जहां से भी चिकित्सकों द्वारा घायल को बेहतर उपचार हेतु लाइफ लाइन हास्पिटल प्रयागराज में रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में जानकारी से पाया गया कि बस रक्षपालपुर से शिवपुरी की तरफ जा रही थी एवं मृतक आयुष कुमार साइकिल से रक्षपालपुर की तरफ जा रहा था अचानक बस चालक द्वारा सामने से आ रहे साइकिल सवार आयुष कुमार को टक्कर मारी दी जिससे आयुष कुमार साइकिल सहित बस के नीचे फंस गया एवं बस चालक बस चलाता रहा जिसको मोटरसाइकिल से आ रहे शालू यादव उपरोक्त द्वारा बस चालक को इशारा करते हुए बस के नीचे साइकिल व लड़के के फंसे होने की बात बतायी, तब बस चालक द्वारा बाइक सवार को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया।

गिरफ्तारी का विवरणः- घटना के संबंध में वादी श्री शंकर लाल पुत्र गंगादीन निवासी ग्राम बैरी थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर द्वारा थाना खखरेरू पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-71/2026 धारा 281/125(A)/125(B)/106(1) बी.एन.एस का अभियोग बस चालक चमन सिंह पुत्र जयप्रकाश निवासी चरकी थाना धाता जनपद फतेहपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक खागा के कुशल नेतृत्व में थाना खखरेरू पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में धारा 281/125(A)/125(B)/106(1) बी.एन.एस का लोप कर, धारा 105, 109, 324(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुये। आज दिनांक 09.04.2026 को थाना खखरेरू पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त स्कूल बस संख्या UP71AT2365 के चालक चमन सिंह पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम चर्की थाना धाता जनपद फतेहपुर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन स्कूली बस बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. चमन सिंह पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम शाहपुर चर्की थाना धाता जनपद फतेहपुर उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. स्कूल बस संख्या UP71AT2365 की बरामदगी।

गिरफ्तार अभियुक्त चमन सिंह पुत्र जयप्रकाश का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 105, 109, 324(4) बीएनएस थाना खखेररू जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राहुल कुमार चौहान, थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर।
2. उ0नि0 श्री नारायन सिंह यादव
3. हे0का0 प्रभांशू द्विवेदी
4. हे0का0 चन्द्रभान सिंह
5. कां0 अमित कुमार प्रजापति